

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ

पत्रांक 1839 / 11 कैशियर-मे0वृ0(नि0ख0 मेरठ)  
सेवा में

दिनांक 08-05-26

निदेशक  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अधिशारी अभियन्ता का नाम:- श्री संजय सिंह  
मोबाईल नं0-9452052763  
ई-मेल cdpwdmeerut@gmail.com

विषय :-अल्पकालीन निविदा सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय

निविदा सूचना की 3 प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि निविदा सूचना को मेरठ में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराने की कृपा करें।

संलग्न :- 1. निविदा सूचना की 3 प्रतियां।

2. कम्प्यूटर सी0डी0 1 नं0।

अधीक्षण अभियन्ता  
मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, मे0क्ष0, लो0नि0वि0, मेरठ।
  2. जिलाधिकारी, मेरठ।
  3. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, / प्रा0 खण्ड / नि0ख0 (भवन) लो0नि0वि0, मेरठ।
  4. सूचना पट्ट।
- संलग्न:- एक प्रति।

अधीक्षण अभियन्ता  
मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ  
08/05/26 11/05/26

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता**  
**मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ**  
**ई-प्रोक्वोरमेंट अल्पकालीन निविदा सूचना**

पत्रांक 1829 / 11 कैशियर-गे0वु0(नि0ख0मेरठ)

दिनांक :- 08-05-26

1. महागृहीम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य को पूर्ण करने की अवधि वर्षों काल सहित	अधिशारी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	मुख्य अभियन्ता का पता	पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>द्वितीय चार</b>									
1	जनपद मेरठ में जी0एम0वी0ए0र0 रघुनाथपुर-गोदीनगर मार्ग पर स्थित पतला रो खानपुर-सिवालखास-जानी-टीकरी-रसूलपुर गोदीनगर मार्ग पर स्थित (अ0जि0मा0) मार्ग के कि0मी0 13 में लघु सेतु का निर्माण कार्य।	235.00	13.75	2000+ 300+ GST 18%= 2714.00	12 माह	निर्माण खण्ड,, लो0नि0वि0 मेरठ	मेरठ वृत्त लो0 नि0 वि0, मेरठ	मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0 नि0 वि0, मेरठ	ए सेतु कार्य

- विल ऑफ वचान्टिटी में लगाई गयी दरें सभी करो को जोड़ते हुये तथा जी0एस0टी0 को छोड़ते हुये लगाई गयी है।
- निविदा में मांगी गयी धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क (कॉलम नं0-4 व 5 के अनुसार) ऑन लाईन केवल नेट बैंक द्वारा भुगतान के पश्चात् यू0टी0आर0 प्राप्ति रसीद के रूप में मान्य होगी।
- निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एवं शर्तें वेब साईट <http://etender.up.nic.in> पर ऑनलाईन उपलब्ध है।
- बिड डाक्यूमेंट वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 18.05.2026 से दिनांक 25.05.2026 की दोपहर 12:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं। निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 25.05.2026 को दोपहर 12:30 बजे कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त लो0नि0वि0, मेरठ में खोली जायेगी।
- निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाईंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
- शासनादेश संख्या 879(1)/23-7-2020, लो0नि0 अनुभाग-7, लखनऊ दिनांक 25.08.2020 के आदेशानुसार प्रहरी एप पर चाणक्य के माध्यम से निविदा डालने हेतु पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
- धरोहर धनराशि शासनादेश संख्या 692/23-07-2024 लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09-08-2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही ली जायेगी।
- प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक सं-6410 एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0-1/2025 दिनांक 17.12.2025 परिपत्र के क्रम में आर0सी0सी0 वॉक्स क्लवर्ट के आर0सी0सी0 फाउंडेशन, सर्व-स्ट्रक्चर एवं सुपर-स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य का अनुभव अवश्य हो, अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदार को अपात्र माना जायेगा।

(संजय सिंह)  
**अधिशारी अभियन्ता**  
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

(जगदीश प्रसाद)  
**अधीक्षण अभियन्ता,**  
 मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता**  
**मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ।**  
**ई-प्रोक्वोरमेन्ट अल्पकालीन निविदा सूचना**

पत्रांक 1839/11 कैशियर-मे0वृ0(नि0ख0मेरठ)

दिनांक :-08.05.2026

1-राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ द्वारा प्रतिशत दर पर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मार्ग कार्य हेतु रजिस्टर्ड श्रेणी के अर्ह एवं अनुमोदित ठेकेदारों से ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा मांगी जाती है। निविदादाता किसी भी अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकते हैं। निविदादाता को सलाह दी जाती है कि वह न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में निविदादाता निर्देश पुस्तिका में वर्णित ठेका प्राप्त करने नियमों से अवगत हो लें।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य को पूर्ण करने की अवधि वर्षा काल सहित	अधिशाली अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	मुख्य अभियन्ता का पता	पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>द्वितीय बार</b>									
1	जनपद मेरठ में जी0एम0वी0एस0 रघुनाथपुर-मोदीनगर मार्ग पर स्थित पतला से खानपुर-सिवालखास-जानी-टीकरी-रसूलपुर मोदीनगर मार्ग पर स्थित (अ0जि0मा0) मार्ग के कि0मी0 13 में लघु सेतु का निर्माण कार्य।	235.00	13.75	2000+ 300+ GST 18%= 2714.00	12 माह	निर्माण खण्ड,, लो0नि0वि0 मेरठ	मेरठ वृत्त लो0 नि0 वि0, मेरठ	मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0 नि0 वि0, मेरठ	ए सेतु कार्य

- कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम 06 पर अंकित है, वर्षाकाल सहित होगी।
- 3- निविदा की वैधता इसके प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिए होगी। वैधता की अवधि में निविदा को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
  - 5- निविदा में मांगी गयी धरोहर धनराशि एवं निविदा भुल्क प्राप्त (कॉलम 4 एवं 5 के अनुसार) ऑनलाइन केवल नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान के पश्चात यू0टी0आर0 प्राप्त रसीद के रूप में ही मान्य होगी। निविदा ऑनलाइन दिनांक 18.05.2026 से डाउनलोड की जा सकती है एवं दिनांक 25.05.2026 की दोपहर 12:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। उक्त निविदा की तकनीकी विड दिनांक 25.05.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे खोली जायेगी तथा अर्ह निविदादाताओं की वित्तीय विड कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0 मेरठ में निर्धारित समय, दिनांक एवं स्थान पर ऑनलाईन खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र बैबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है।
  - 6- निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाईंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
  - 7- निविदा प्रपत्र के क्लॉज 9.2 के अनुसार प्रीबिड बैठक दिनांक 19.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे अधीक्षण अभियन्ता मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ कार्यालय में आयोजित की जायेगी, जिसमें कार्यों से सम्बन्धित समस्त जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
  - 8- ई-टेन्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा सवमित करने की अन्तिम तिथि 25.05.2026 एवं समय दोपहर 12:00 बजे तक है। निविदा डालने हेतु वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार निविदादाता द्वारा निविदा सवमित नियत तिथि एवं समय तक सवमित की जा सकती है। तकनीकी निविदाएं दिनांक 25.05.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ में ऑनलाईन खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को कार्यालय बन्द होता है तो उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में ऑनलाईन खोली जायेगी तथा निविदा खोलने का समय तथा वैधता पूर्ववत् होगा।
  - 9- निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय विड खुलने के उपरान्त नीचे उल्लेखित प्रपत्र/ प्रोफार्मा कॉलम- 8, 9 एवं 10 में अंकित कार्यालयों में शासनादेश सं0 3070/78-2-2018-42आई0टी0/2017(22) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03.01.2018 के अनुसार जमा कराया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।
  - (1) निविदा प्रपत्र (विडिंग डाक्यूमेन्ट) में निर्धारित रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति दिनांक से 12 माह तक वैध होनी चाहिए। जोकि अधीक्षण अभियन्ता मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0 मेरठ के नाम बन्धक होगी-मूल रूप में।
  - (2) विड डाक्यूमेन्ट में आई0टी0वी0 क्लॉज संख्या 4 के अनुरूप समस्त भाषण पत्र मूल में।

- 10- आई0टी0वी0 के क्लॉज सं0 4.4 वी (सी) (i) के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) के रूप में कार्यरत हो अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड/वृत्त में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे सम्बन्धित वृत्त में कार्यरत हों।
- 11- आई0टी0वी0 के क्लॉज सं0 4.4 वी (सी) (ii) के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 12- निविदा से सम्बन्धित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग विशिष्टियों मात्राओं का विवरण एवं ठेकेदार की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है, को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जिसका उल्लेख कॉलम-7 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दि 18.05.2026 से 25.05.2026 तक देखा जा सकता है।
- 13- ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है, वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
- 14- कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे। (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे।)
- 15- निविदादाता को निविदा के साथ निर्धारित वैधता के लिए रू0 100/- का स्टाम्प पेपर रू0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 16- प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रपत्र के सैक्सन-3 क्वालीफिकेशन, इंफोरमेशन, के लिये रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाएं देनी होंगी।
- 17- निविदादाता को प्रत्येक निविदा के लिये निर्धारित प्रारूप पर टी-4, टी-5 सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित कराकर तथा टी-6 रू0 100/- स्टाम्प अपलोड अनिवार्य है।
- 18- कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- 19- शासनादेश सं0 6738/23-07-2006-176(एल0के0ओ0)/06 दिनांक 05-01-2007 के अनुसार निविदा/निविदा सूचना का प्रारूप अंग्रेजी भाषा में अनुमोदित है परन्तु निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार निविदा सूचना हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित की जा सकती है। इसी क्रम में इस निविदा सूचना को हिन्दी भाषा में रूपांतरित किया गया है। किसी भी प्रकार की विभिन्नता/विषमता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा की निविदा सूचना अंतिम मानी जायेगी।
- 20- निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि निविदा अपलोड करने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर लेना चाहिये।
- 21- विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।
- 22- धरोहर धनराशि शासनादेश संख्या 692/23-07-2024लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09-08-2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही ली जायेगी।
- 23- निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यों के लिये डिफैक्ट लाइबिलिटी समयावधि कार्य पूर्ण करने की तिथि 02 वर्ष की होगी।
- 24- धरोहर धनराशि शासनादेश संख्या-836/23-7-17-176(सा0)/06 लो0नि0अनु0-7 दिनांक 08.06.2017 एवं कार्यालय प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5580 एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/2022 दिनांक 09.06.2022 के अनुसार ली जायेगी।
- 25- समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग एम0ओ0आर0टी0एच0/एम0ओ0आर0डी0 की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित किया जायेगा।
- 26- समस्त दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर समस्त प्रकार के कर, रायल्टी एवं लाभांश सम्मिलित है।
- 27- ठेकेदार को रायल्टी भुगतान का यथोचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगी अन्यथा की स्थिति में रॉयल्टी देयक भुगतान के समय अनुमन्य दरों के अनुसार ठेकेदार के विल से काटी जायेगी।
- 28- ठेकेदार का जी0एस0टी0 एवं चाणक्य साफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा।
- 29- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक सं0 9755/एम0टी0/सामान्य वर्ग/40 एम0टी0-45/17 दिनांक 19.12.2017 के अन्तर्गत लेबर सैस की कटौती 1 प्रतिशत की दर से ठेकेदार के देयक से की जायेगी।
- 30- ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रत्येक रनिंग बिल के समय मूल सी0आर0सी0, (बिटुमिन तथा सी0आर0एम0बी0) एवं मूल रॉयल्टी (एम0एम0-11) की प्रति शासनादेश सं0 115/(1)/86-2020 दिनांक 15.01.2020 अनुपालन में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी तथा तदानुसार निर्धारित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- 31- जी0एस0टी0 की धनराशि फर्म/ठेकेदार द्वारा स्वयं जमा कराकर चालान प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

- 32- निविदादाता को शासनादेश संख्या 879(1)/23-7-2020, लो0नि0 अनुभाग-7, लखनऊ दिनांक 25.08.2020 के कम में निविदा प्रकिया हेतु चाणक्य साफ्टवेयर में प्रहरी एप्लीकेशन का उपयोग कर आवश्यक अभिलेख अपलोड करने होंगे।
- 33- प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक सं-6410 एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0-1/2025 दिनांक 17.12.2025 परिपत्र के कम में आर0सी0सी0 बॉक्स क्लवर्ट के आर0सी0सी0 फाउंडेशन, सब-स्ट्रक्चर एवं सुपर-स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य का अनुभव अवश्य हो, अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदार को अपात्र माना जायेगा।
- 34- टी0-2 की समस्त शर्तें लागू होंगी।

(संजय सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

(जगदीश प्रसाद)  
अधीक्षण अभियन्ता,  
मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ